भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2085

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

आनंदपुर साहिब में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की स्थिति

†2085. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खरड़ (मोहाली) और रूपनगर शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वीकृत आवासों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शहरी स्थानीय निकायों में कई परियोजनाएँ वर्ष 2022 से अब तक केवल नींव स्तर पर ही रुकी हुई हैं।

(ग) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के निर्गत होने में विलंब के विशेष कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों हेतु इन आवास इकाइयों की शीघ्र पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती कीमत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण करने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास

(एएचपी), किफायती किराया के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवास शामिल हैं। इनमें से 114.84 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और दिनांक 22.01.2026 तक देश भर में 97.02 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। खरड़ (मोहाली) के लिए कुल 7,601 आवास और रूपनगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 890 आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से क्रमश 7,514 और 890 आवास पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

खरड़ के लिए कुल 170.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 169.6 करोड़ रुपये राज्य को जारी किए गए हैं। रूपनगर के लिए कुल 18.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17.98 करोड़ रुपये पहले ही राज्य को जारी किए जा चुके हैं। पंजाब राज्य को निधियां जारी करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

पीएमएवाई-यू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में जारी की जाती है। केंद्रीय सहायता जारी करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालनों को पूरा करने पर निर्भर है, जैसे उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना, लाभार्थियों की आधार सीडिंग, तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), आवासों/परियोजनाओं के निर्माण चरणों की प्रगति की जियो-टैगिंग, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) 2016 (रेरा) अधिनियम आदि के तहत परियोजनाओं का पंजीकरण, और मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देश। पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय किस्तें जारी की जाती हैं।

मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा करने और आबंटन सहित योजना की प्रगति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है। इस योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू के डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

*****